



2026:AHC:6744

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19347 वर्ष 2025

उमेश चंद्रा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

महेंद्र कुमार प्रजापति

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार प्रजापति वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3/जिला कमांडेंट, होम-गार्ड्स, प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 16.09.2025 को पारित आक्षेपित को अभिखंडित करने के लिए उत्प्रेषण के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश मांगा गया है और प्रतिवादी संख्या 2 को 29.09.2025 से लंबित अपील पर निर्णय करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है, तब तक अंतर्निहित दोष, के कारण याचिकाकर्ता की सेवा को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ बहाल किया जाए।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेकर खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आज दायर किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।